

नगर पालिका, सादड़ी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SADRI/FIRENOC/2023-24/24469
जारी दिनांक: 06-AUG-2025 वैधता दिनांक: 05-AUG-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: ARUN KUMAR SINGH PUNDHIR
आवेदक का पता: ADARSH VIDYALAYA SADRI RANAKPUR ROAD PIN NO. 306702

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ADARSH VIDYALAYA SADRI, 1, RANAKPUR ROAD SADRI, RANAKPUR ROAD, SADRI, PALI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. बिल्डिंग के समस्त स्टॉफ व सिक््योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. बिल्डिंग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयावधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24x7 घण्टे फायर प्रशिक्षण कर्मचारी रखना होंगे।
7. बिल्डिंग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. यह राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. बिल्डिंग में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च वॉल्टेज पावर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
11. बिल्डिंग में साईन (सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. बिल्डिंग में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा।
13. बिल्डिंग में वाहनो को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डिंग में व्यवस्थापक द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 2020 पार्ट दिनांक 14.10.2023 व नेशनल बिल्डिंग कोड 2002/2016 एवं नगरपालिका अधिनियम के तहत नियमों की अनिवार्य रूप से पालना कीनी होगी।
15. बिल्डिंग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनरेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
16. बिल्डिंग में आपात सेवाओं के दुरभाष नम्बर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
17. व्यवस्थापक द्वारा प्लांट के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डिंग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
18. बिल्डिंग के अन्दर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे
19. बिल्डिंग में रोप लेडर दो रस्सा बिल्डिंग के सभी टॉवर में टॉवर की ऊचाई जितना हर समय बिल्डिंग में रखना होगा।



Signed by: Neel Kamal Singh Ranawat
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: SADRI, Rajasthan
Date: 06/08/2025 13:48:11

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, सादड़ी